तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 2005 / 662 / डुँगरपुर** **शंकर बनाम मनजी आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-9-2019	**एकल पीठ** **श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य** **उपस्थित :-** श्री राजेश गोतम, अभिभाषक प्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अभिभाषक सरकार अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। **निर्णय** 1- यह निगरानी अन्तर्गत धारा-230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19-1-2005 के विरूद्ध पेश की गई है। 2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या-1 ने एक वाद उप खण्ड अधिकारी, डूंगरपुर के न्यायालय में वास्ते घोषणा एवं आवंटन को शून्य घोषित किये जाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा88, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम नया गांव में स्थित कृषि भूमि कुल रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा स्थित है जो वादी का मुश्तरका खाता संख्या-44/91 था, जो अपने भाई दोला, हुक्मा के साथ शामिल था। उक्त खाते के पास ही आराजी खसरा नम्बर-367/407 स्थित है, जिस पर करीब डेढ बीघा जमींन पर वादी का कब्जा काश्त बाप, दादा के समय से चला आ रहा है एवं मकान पर आने जाने का रास्ता है। अतः जमींन को प्रतिवादी नम्बर-1 ने दिनांक 27-2-1974 को विकास अधिकारी से अपने नाम आबंटन करवा ली, जिसको प्रतिवादी नम्बर-1 अतिक्रमण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 2005/ 662/ डुँगरपुर शंकर बनाम मनजी आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करके रास्ता बन्द करना चाहता है। यह आबंटन विधि विरूद्ध होने से शून्य है। वाद का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा वाद के तथ्यों से इन्कार किया एवं उल्लेख किया कि प्रार्थी को आबंटन विधि अनुसार हुआ है। वाद में विचारण न्यायालय द्वारा तनकियां कायम कर दी गयी थी। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-14 नियम-1 व 5 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि तनकियां सही नहीं बनाई है जिन्हें प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तनकियों के अनुसा बनाया जाय। उक्त प्रार्थना पत्र को विद्वान उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19-1-2005 को बहस सुनकर उसी दिन निरस्त कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, डूंगरपुरके निर्णय दिनांक 19-1-2005 से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। 3- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। 4- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, डूंगरपुर ने दावा व जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकीयात दिनांक 13-10-2003 को कायम की :- **<u>तनकी नम्बर-1 :-</u>** क्या वादी का ग्राम नया गांव की आराज नंबर-567/407 पर पुराना कब्जा है, जिसके आधार पर वह प्रतिवादी नम्बर-1 को दिनांक 27-2-1974 को हुआ आवंटन को निरस्त कराने व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 2005/ 662/ डुँगरपुर शंकर बनाम मनजी आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निषेधाज्ञा पारित कराने के प्राधिकारी है ? ....वादी **तनकी नम्बर–2 :–** क्या आराजी नम्बर–567/407 वादीगण के खातेदारी भूमि खाता नम्बर–44/41 पर पहुंचने के रूप में कदीमन से उपयोग में ली जा रही है ? ....वादी **तनकी नम्बर–3 :–** क्या प्रतिवादी नम्बर–1 को आवंटन कमेटी द्वारा मजमेआम में विधिसम्मत भूमि आबंटन कर कब्जा सुपुर्द किया है, जिससे वाद खारिज योग्य है ? ....प्रतिवादी **तनकी नम्बर–4 :–** क्या आवंटित भूमि में 5 बिस्वा भूमि आबादी में संपरिवर्तन हो जाने से वाद इस यायालय की सुनवाई के क्षेत्राधिकार का नहीं है ? ....प्रतिवादी **तनकी नम्बर–5 :–** दादरसी ? 5– तनकी कायम होने के बाद वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य हो गई। इसके पश्चात दिनांक 19–1–2005 को प्रतिवादी संख्या–1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–14 नियम–1 व 5 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि दिनांक 13–10–2003 को जो तनकीयात कायम की गयी हैं, वे सही नहीं है क्योंकि तनकीयों के आधार पर ही निर्णय किया जाना है। अतः संशोधित तनकी बनाई जाये। उन्होंने पांच तनकीया बनाकर दी थी। उसी दिन अर्थात दिनांक 19–1–2005 को उप	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 2005 / 662 / डुँगरपुर शंकर बनाम मनजी आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड अधिकारी ने उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जो तनकियां विचारण न्यायालय ने बनाई है, वे सही नहीं होने के कारण सही तनकियां बनाई जानी चाहिये। तनकियां कायम करना अदालत का कार्य है और तनकियों को किसी भी स्टेज पर सही किया जा सकता है अथवा कोई तनकी जो पूर्व में नहीं बनाई गई हो, अब बनाई जा सकती है। अपने तर्को के समर्थन में प्रार्थी के अधिवक्ता ने राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 10-8-1998 की प्रति पेश की जो कि भवानीराम बनाम राजस्थान सरकार में दिया गया था। उक्त निर्णय के अन्तर्गत विचारण न्यायालय ने दावा डिक्री कर दिया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को की गई। जिसमें अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया और निर्देशित किया कि उभयपक्षों को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। रिमाण्ड के बाद आदेश-14 नियम-5 सीपीसी के अन्तर्गत सही तनकी बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया। निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी जिसमें निगरानी स्वीकार की गयी। इस प्रकार उस प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित करने के बाद भी तनकियां सही की गयी थी। हस्तगत प्रकरण में तो अभी केवल साक्ष्य हुई है। इसी तरह 1982 आर.एल.डब्ल्यू. पेज-83 भी प्रस्तुत की।

6- अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 4 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये किन्तु उपस्थित नहीं हुये, अतः एकतरफा कार्यवाही की गयी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक सरकार की बहस सुनी गयी जिसमें उन्होंने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 2005/ 662/ डुँगरपुर शंकर बनाम मनजी आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कहा कि विचारण न्यायालय ने सही तनकियां बनाई है। 7- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया गया तथा प्रस्तुत नजीरों का आदरपूर्वक परिशीलन किया गया। 8- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तनकियां कायम करने का दायित्व अदालत का है। तनकियां दावा व जवाबदावा के आधार पर कायम की जा चुकी है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 13-10-2003 को जो तनकियां कायम की हैं वे दावा व जवाबदावे के आधार पर स्पष्ट नही है। जब तनकियां ही स्पष्ट नहीं है तो निर्णय कैसे हो पायेगा? हम प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क से सहमत हैं कि तनकियां सही बननी चाहिये। प्रकरण किसी भी स्टेज पर तनकियां सही की जा सकती हैं। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होती है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13-10-2003 को कायम की गयी तनकियां निरस्त की जाती है। 9- फलतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय को आदेश दिये जाते हैं कि दावा व जवाबदावा के आधार पर नये सिरे से एक माह में तनकियां कायम कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरिशंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 2005 / 662 / डुँगरपुर शंकर बनाम मनजी आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए